पोशाक योजना

1. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य ऑगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से राज्य के 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती, प्रसूति महिला तथा किशोरी बालिकाओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना तथा उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य/पोषण संबंधी जरूरतों की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढाना है।

2. निधि का संवितरण

पोशाक योजना का व्यय शत प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

3. देय राशि

ऑगनबाडी केन्द्र पर नामांकित सभी बच्चों को प्रति बच्चा रूपये 400/- प्रति वर्ष की दर से भुगतान किया जात है।

4. पात्रता

ऑगनबाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना अन्तर्गत ऑगनबाडी केन्द्र पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3-6 वर्ष के बच्चें।

4. प्रक्रिया

स्कूल पूर्व शिक्षा (पोशाक योजना) का लाभ प्राप्त करना चाहते है, ऑगनबाडी केन्द्र की संबंधित योजना की पंजी में नाम अंकित कराकर निर्धारित मापदण्ड का अनुपालन करते हुए लाभ प्राप्त करते है।

5. उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रक्रिया

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा राशि की उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के माध्यम से आई0सी0डी0एस0 निदेशालय को भेजा जाता है। आई0सी0डी0एस0 निदेशालय द्वारा विभागीय अनुमोदनोपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार/भारत सरकार को भेजा जाता है।

6. अनुश्रवण की प्रक्रिया

पोशाक योजना की निगरानी ऑगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर गठित ऑगनबाड़ी विकास समिति द्वारा की जाती है|

सामाजिक अंकेक्षण - साथ ही ऑगनबाड़ी केन्द्र पर दी जाने वाली सेवाओं का वर्ष में दो बार सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है तथा समय-समय पर राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर गठित टीम द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

पर्यवेक्षण/निरीक्षण - इसके अतिरिक्त ऑगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण/निरीक्षण हेतु औसतन 25 ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर एक महिला पर्यवेक्षिका, परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी पदस्थापित है।

सूचना तकनीक से अनुश्रवण - ऑगनबाडी केन्द्रों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता लाने हेतु ICT-RTM (Information Communication Technology-Real Time Monitoring) अन्तर्गत 'ICDS-CAS' (Common Application Software) तथा ''ऑगन'' ऐप के द्वारा भी ऑगनबाडी केन्द्रों का अनुश्रवन होगा।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

अनुमण्डल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं विभाग स्तर पर विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहॉ इस योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से सम्बंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है। साथ ही परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला स्तर पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी, प्रमण्डल स्तर पर प्रमण्डलीय आयुक्त तथा राज्य स्तर पर निदेशक, आई0सी0डी0एस0 एवं अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग से लिखित/दूरभाष पर सम्पर्क कर समस्या को दर्ज करा सकते है।